

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्रीमती अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

पत्रा संख्या-31/2019 प्रार्थना पत्र

वकील पति केशू रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

बनाम

-----प्रार्थी

श्री नारायण लाल पिता गोमा रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री गैरू पिता गोमा रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री माधूलाल पिता प्रताप रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री धन्ना लाल पिता प्रताप रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री हीरालाल पिता प्रताप रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री डालू पिता गोमा रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री नानू पिता हेमा रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री कालू पिता हेमा रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री भगनीराम पिता हेमा रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री गदन पिता डालू रेगर, उम्र बालिग निवासी गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-8.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम गुरंला पटवार गुरंला भू-अभिलेख निरीक्षक गुरंला तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1949/1, कुल कित्ता 2 रकबा 7 बिस्वा, एवं 1944 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल कित्ता 3 रकबा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.1.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल कर लिया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 11 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल कर लिया गया। विपक्षी संख्या 1 से 11 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के लिये भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 4.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम गुरंला पटवार हल्का गुरंला भू-अभिलेख निरीक्षक गुरंला तहसील व भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1949, 1949/1, कुल कित्ता 2 रकबा 7 बिस्वा, एवं 1944 1 बीघा 1 बिस्वा कुल कित्ता 3 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, गुरंला को -रूपये (तीन सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में गढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डायी)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा